



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ - 226001
CIN No. : U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 2100/मु०अ०/सी०एम०यू०डी०/2020

दिनांक 18 अगस्त, 2020

विषय - 11 के०वी० एवं 33 के०वी० लाइनों के शटडाउन दिए जाने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक

पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल

विद्युत वितरण निगम लि०

वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ

केस्को-कानपुर।

महोदया/महोदय,

कृपया विभागीय एवं वाह्य एजेन्सी द्वारा 33/11 के०वी० उपकेन्द्रों एवं लाइनों पर सुरक्षित काम करने के लिए विद्युत कर्मियों हेतु सुरक्षा-सावधानियों के सम्बन्ध में पा०का०लि० के पत्र संख्या : 3738/सीएमयूडी/विद्युत सुरक्षा/2018, दिनांक 22.11.2018 (छायाप्रति संलग्न) का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यदि अवर अभियन्ता (वितरण) के अलावा उससे निम्न स्तर के कार्मिक द्वारा किसी प्रकार का शटडाउन लिया जाता है तो इसकी जानकारी सम्बन्धित अवर अभियन्ता (वितरण) को अवश्य दिया जाए।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(एम० देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मा० ऊर्जा मंत्री, उ०प्र० शासन।



पत्रांक: 3738/सीएमयूडी/विद्युत सुरक्षा/2018

दिनांक: 22 नवम्बर, 2018

विषय:- विभागीय एवं बाह्य एजेन्सी द्वारा 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों एवं लाइनों पर सुरक्षित काम करने के लिये विद्युत कर्मियों हेतु सुरक्षा-सावधानियों के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक

मध्यांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल,
 विद्युत वितरण निगम लि0,
 लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/आगरा।
 केस्को-कानपुर।

महोदय,

कृपया उपरोक्त से सम्बन्धित अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 के पत्र सं0-1100-औसं0/2018-26(2) ए0एस0/06 दि0 07.05.2018 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सभी सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों का दायित्व तय किया गया था कि वह सम्बन्धित संविदाकार को निर्देशित करेंगे कि वे 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों पर तैनात संविदा श्रमिकों को परिचय पत्र संविदा अनुबन्ध के एक माह के भीतर जारी कराना सुनिश्चित करेंगे। इसी के तारतम्य में आए दिन संविदा कर्मियों/लाइन मैनों की विद्युत लाइनों एवं अन्य उपकरणों पर कार्य करते समय विद्युत सुरक्षा नियमों की अवहेलना के चलते हो रही विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिये "विद्युत आपूर्ति को बन्द करने की प्रक्रिया" के सम्बन्ध में एतद्वारा निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

1. चाहें किसी भी प्रकार का शटडाउन हो (प्रणाली सुदृढीकरण के किसी कार्य को करने के लिये नियोजित शटडाउन, लाइनों एवं उपकरणों के अनुरक्षण हेतु शटडाउन अथवा किसी लाइन/उपकरण के ब्रेकडाउन को ठीक करने हेतु लिया जाने वाला शटडाउन), केवल निम्नानुसार अधिकृत व्यक्ति को ही शटडाउन दिया जायेगा:-
 (क) एल0टी0 लाइन एवं 11 के0वी0 लाइन हेतु टी0जी0-2 (लाइन) (पूर्व पदनाम-लाइन मैन)।
 (ख) 11 के0वी0 एवं 33 के0वी0 लाइनों हेतु सम्बन्धित अवर अभियन्ता (वितरण)।
 (ग) 33 के0वी0 एवं इससे ऊपर के विभव के कार्यों हेतु सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी(वितरण)।
2. किसी भी संविदाकर्मी को कोई शटडाउन नहीं दिया जायेगा। विभागीय टी0जी0-2 (लाइन) से कम स्तर के स्टाफ को भी कोई शटडाउन नहीं दिया जायेगा।
3. 33 के0वी0 एवं इससे ऊपर के विभव के कार्यों हेतु अनिवार्य रूप से संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार Work Permit प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. प्रत्येक 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र पर शटडाउन हेतु "Shutdown/Movement Register of Staff " तथा "Authorization Register" संलग्न निर्धारित प्रारूपों के अनुसार रजिस्टर अनिवार्य रूप से अनुरक्षित (Maintain) किये जायेंगे। टी0जी0-2, विद्युत (उपकेन्द्र परिचालक) द्वारा शटडाउन का औचित्य (किस कार्य हेतु लिया गया है) लॉग शीट/शटडाउन रजिस्टर में समय व तिथि अंकित कर सम्बन्धित से हस्ताक्षर करवाकर इसका विवरण शटडाउन पर्ची/वर्क परमिट रजिस्टर में अंकित करते हुये फीडर को ट्रिप/ऑफ करके ट्राली को बाहर/टेस्ट पोजीशन में किया जायेगा तथा फीडर पर शटडाउन की तख्ती लगाई जायेगी।
5. शटडाउन रजिस्टर में टी0जी0-2 (लाइन) के साथ कार्य करने वाले संविदाकर्मियों का नाम मय परिचय पत्र संख्या अनिवार्यरूप से अंकित किया जायेगा।
6. शटडाउन वापस करते समय उपकेन्द्र पर तैनात परिचालक शटडाउन वापसी का पूर्ण विवरण लाग शीट में दर्ज करेगा, लाग शीट पर शटडाउन पर वापस करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर लेगा।
7. साधारण स्थिति में मोबाइल पर शटडाउन नहीं दिया जायेगा। परन्तु किसी लाइन का तार टूट कर गिरने, किसी परिवर्तक या अन्य किसी उपकरण में आग लगने, दुर्घटना का स्थान उपकेन्द्र से अत्याधिक दूरी पर होने जहाँ से उपकेन्द्र आकर शटडाउन लेने से विद्युत व्यवधान लम्बा खिंच जाने जैसी अपरिहार्य स्थितियों में टेलीफोन/मोबाइल पर शटडाउन अवर अभियन्ता के संज्ञान में लाते हुये कोडवर्ड के साथ दिया जायेगा। यथासम्भव शटडाउन लेने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं उपकेन्द्र आकर अपने हस्ताक्षर कर विधिवत् शटडाउन वापस किया जायेगा। परन्तु अपरिहार्य स्थितियों में मोबाइल पर शटडाउन वापस करते समय उपकेन्द्र परिचालक द्वारा आवश्यक पूछ-ताछ के उपरान्त कोडवर्ड के साथ शटडाउन वापस किया जायेगा।
8. लाइन पर लाइनमैन द्वारा कार्य किये जाने के दौरान उसके नीचे कोई सहयोगी या अन्य व्यक्ति न आए ताकि कोई औजार या उपकरण के गिरने की स्थिति में घायल/दुर्घटना से बचा जा सके।
9. गर्म लाइन (Live Line) पर लाइसेंसी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति (कुशल श्रमिक) की कार्य करेंगे।
10. लाइन स्टॉफ लाइन पर कार्य करते समय समस्त सुरक्षा उपकरणों यथा-हेलमेट, सेफ्टीबेल्ट, हैण्डग्लव्स आदि उपकरणों का प्रयोग सुनिश्चित करेंगे।
11. टी0जी0-2, लाइन (लाइनमैन/कुशल श्रमिक) लाइन पर कार्य करने से पूर्व शटडाउन लेकर अर्थिंग राड/अर्थिंग चेन से लाइन को डिस्चार्ज कर अर्थ करने के साथ ही पूर्ण जांच के पश्चात् की कार्य प्रारम्भ करेंगे।
12. टी0जी0-2, लाइन (लाइनमैन/कुशल श्रमिक) लाइन पर कार्य समाप्त होने के पश्चात् अर्थिंग राड/अर्थिंग चेन, समस्त टूल्स व सहयोगियों के हटने के पश्चात् पूर्ण जांच के बाद शटडाउन वापस करेंगे।
13. उपकेन्द्र परिचालक, सम्बन्धित द्वारा शटडाउन वापस किये जाने, शटडाउन पर्ची वापस करने, शटडाउन तख्ती हटाने, लॉग शीट/शटडाउन/वर्क परमिट रजिस्टर पर विवरण अंकित करते हुये सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा, रिले सैट कर पूर्ण जांच के बाद सम्बन्धित फीडर की ट्राली अन्दर/सर्विस पोजीशन में कर फीडर को ऑन/चालू करेंगे।

14. फीडर ऑन/चालू होने के पश्चात् उपकेन्द्र परिचालक फीडर में से कोई असामान्य आवाज/ध्वनि आने पर तत्काल बन्द करेंगे एवं पुनः जाँच व दोष निवारण कर ही फीडर चालू करें।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु 11 के0वी0 विभव तक के कार्यों हेतु सम्बन्धित अवर अभियन्ता (वितरण) एवं सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी उत्तरदायी होंगे। 33 के0वी0 विभव के कार्यों हेतु सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता (वितरण) उत्तरदायी होंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन हेतु सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीया,

Aparna. U.
(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:- निजी सचिव अध्यक्ष, उ0प्र0 पा0का0लि0।

(रूल 3 इण्डियन इलेक्ट्रीसिटी रूल्स 1956)

33/11 के0वी0 उपग्रह.....

क्र0सं0	प्राधिकृत व्यक्ति का नाम तथा पद	रूल जिसके अंतर्गत व्यक्ति प्राधिकृत किया गया है	किस काम के लिए	प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर	अधिकारी के हस्ताक्षर जिसने प्राधिकृत किया है	अन्य

उत्तर प्रदेश पावर/ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

उपकन्द्र.....केन्द्रीय.....
 कर्मचारी
कार्य करने का प्रार्थना-पत्र
 (WORK PERMIT)
 समय..... दिनांक..... 201०
 में..... निम्नलिखित कार्य
 करने की आज्ञा पानी है तथा..... से प्रार्थना
 करता हूँ कि.....

को कैंडा (डिरचार्ज) कर दिया जाये।
कार्य का विवरण

हस्ताक्षर.....
 पद.....
 दिनांक.....
कार्य आरम्भ करने की आज्ञा
 में..... श्री.....
 को सूचित करता हूँ कि कैंडा (डिरचार्ज) और अर्थ करने के लिए सुरक्षा
 नियमानुसार..... 20..... ई०
 का..... वजे से कैंडा (डिरचार्ज) कर दी गयी है
 और अर्थ कर दी गयी है।
 निम्नलिखित स्वीचिंग को और अर्थिंग को कार्यवाहियों कर दी गयी हैं।
 दिनांक..... हस्ताक्षर.....
 पद.....
 कार्यालय.....
 पृ०पृ०३०

कार्य के हुन्तार्ज की घोषणा

में..... को सम्पन्न करना हूँ मैं
 न कार्य को अर्थी वरुह से सम्पन्न हूँ जो इस आज्ञा पत्र के अनुसार किया जाना
 जाता है। मैंने निरीक्षण द्वारा जान की कार्य जांच कर ली है कि यह किया जिस पर
 काम किया जाने वाला है और इस आज्ञा-पत्र में हीज घोषित किया गया है।
 हस्ताक्षर.....
 पद.....

कार्य को समाप्त हो जाने का प्रमाण-पत्र

में..... को इस बात की सूचना
 देता हूँ कि इस आज्ञा-पत्र में लिखा हुआ कार्य सम्पन्न हो गया और मशीन अथवा
 लाइन से आदमी हटा दिए हैं एवं निम्न मन्तवी पायी गई थी :

हस्ताक्षर.....
 पद.....
 समय.....

विजली छोड़ने का सार्टिफिकेट

म निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करता हूँ कि मैंने इस आज्ञा-पत्र के अनुसार
 कार्य निरीक्षण कर लिया है और मशीन अथवा लाइन से पूर्णतया संतुष्ट हूँ और यह
 विद्युत प्रवाह के लिए तैयार है।

हस्ताक्षर.....
 पद.....
 दिनांक.....
 कर्मचारी.....
 सहायक अभियन्ता (परिचालन) को सूचनाएं एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
 हस्ताक्षर.....
 पद.....
 दिनांक.....
 कर्मचारी.....
 अधिसारी अभियन्ता, विद्युत प्रबंध सहाय-निरीक्षण, लखनऊ को सूचनाएं एवं उचित
 कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

हस्ताक्षर.....
 अवर अभियन्ता/अभियन्ता (परिचालन)